SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए इफ्ला (IFLA) की भूमिका

षष्ठी पाण्डेय, देवेन्द्र यादव, ग्रंथालय विभाग
अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
षष्ठी पाण्डेय,
देवेन्द्र यादव
shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 11/04/2023
Revised on : -----
Accepted on : 18/04/2023
Plagiarism : 02% on 11/04/2023

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: **2%**
Date: Apr 11, 2023
Statistics: 66 words Plagiarized / 3742 Total words
Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.

शोध सार

मानव खोजी प्रवृत्ति का होता है तथा वह अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण नित नई खोजों एवं आविष्कारों को विश्व के सामने लाता है। उसकी इन खोजों का लाभ समाज को मिले एवं उनका दुरुपयोग भी न हो, इसके लिए ही बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ये अधिकार मानव की सृजनात्मकता को संरक्षण प्रदान करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहता है। अपनी गतिविधियों के जरिए वह दो प्रकार की सम्पदाओं का सृजन करता है, पहली भौतिक सम्पदा एवं दूसरी बौद्धिक सम्पदा। भौतिक सम्पदा मूर्त होती है और उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त वैधानिक उपबन्ध किए गए हैं, जबकि बौद्धिक सम्पदाएँ अमूर्त होती हैं। कुछ वर्ष पहले तक इनके संरक्षण के लिए वैधानिक उपबन्धों का अभाव था, किन्तु अब इस सम्बन्ध में पर्याप्त वैधानिक उपबन्ध हैं।

मुख्य शब्द

बौद्धिक सम्पदा, पेटेण्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतन, अधिनियम.

प्रस्तावना

बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार को प्रतिपादित किया गया है। यह किसी भी उत्पाद या आविष्कार के निर्माता या आविष्कारक को इस बात की अनुमति प्रदान करते हैं कि वह अन्य व्यक्तियों को अपने उत्पाद या आविष्कार के लिए निश्चित अवधि तक व्यावसायिक दोहन करने से रोक सके। यह अधिकार निर्माता या आविष्कारक को अपने उत्पाद का कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके अभाव में बौद्धिक सम्पदा का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। बौद्धिक सम्पदा, अधिकार सम्मिलित रूप से सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए विविध देशों द्वारा भी

बौद्धिक सम्पदाओं का लगातार आदान–प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि बौद्धिक सम्पदा एक वैधानिक अधिकार है, जो उत्पाद या आविष्कार के निर्माता या आविष्कारक को इस बात की अनुमति देते हैं कि वह अन्य लोगों को एक निश्चित अवधि तक अपने उत्पाद या आविष्कार के व्यावसायिक दोहन को रोक सके। ये आविष्कारक तक उनके उत्पाद का मालिकाना हक प्रदान करते हैं।

बौद्धिक सम्पदा की परिभाषाएँ

कैम्ब्रिज इण्टरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के अनुसार, बौद्धिक सम्पदा एक मौलिक विचार कृति है, जिसका उपयोग धन–अर्जन हेतु किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति अथवा समूह जिन्हें विचार रखने का अधिकार प्राप्त है, वे दूसरे लोग जो धन–अर्जन हेतु इसकी प्रतिलिपि करते हैं, ऐसे उपयोग को रोकने के लिए कानून का प्रयोग कर सकते हैं।

ए आहूजा के अनुसार, "बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानव सृजित ज्ञान/रचना के लिए उत्तरदायी है, अभिव्यक्ति के विशेषाधिकार की स्थिति को कृति/रचना के उपयोग के लिए यह विधिसंगत स्वीकृति प्रदान करता है।

द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ करन्ट इंग्लिश के अनुसार, ''पूर्णरूपेण कानूनी अधिकार अथवा उसके समानुदेशिती को अथवा उनके द्वारा अन्य व्यक्ति को अवधि के लिए मुद्रण, प्रकाशन, चलचित्रादि अथवा अभिलिखित साहित्यिक, कला, संगीत, सामग्री का प्राधिकार अन्य लोगों को।''

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना स्टॉक होम कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसकी स्थापना के समझौते पर वर्ष 1967 में 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह अप्रैल, 1970 में लागू हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में है। इसके सदस्यों की स्थापना 185 है।

वर्ष 1974 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस संगठन की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह औद्योगिक सम्पदा एवं कॉपीराइट के नियमों व मानकों का औद्योगिक मॉडलों के बारे में अनुरोध स्वीकार करते हैं। वर्ष 1996 में ˜प्च्व् ने विश्व व्यापार संगठन के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता किया था।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की श्रेणियां

बौद्धिक सम्पदाओं को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के माध्यम से ही कानूनी संरक्षण मिलता है। इसके अभाव में यह अधिकार खतरे में पड़ सकता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के निम्नलिखित श्रेणियां हैं:

- साहित्यिक कलात्मक एवं वैज्ञानिक कार्य,
- एक कलाकार का प्रदर्शन,
- मनुष्य के विभिन्न प्रयास क्षेत्रों में किये गए अविष्कार,
- वैज्ञानिक खोज,
- औद्योगिक डिजाइन,
- व्यापार चिन्ह एवं सेवा चिन्ह इत्यादि।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण के उपाय

मनुष्य की सृजनात्मक गतिविधियों का लाभ व्यक्ति के साथ–साथ समाज को मिले तथा इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए कई उपाय एवं नियम बनाए गए, वे इस प्रकार हैं:

पेटेण्ट

पेटेण्ट लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है खुला, पेटेण्ट को हिन्दी में एकस्व कहा जाता है। यह एक

प्रकार का आदेश होता है, जिसे राज्य द्वारा एक प्रमाण–पत्र के रूप में किसी आविष्कार की घोषणा करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा उस आविष्कार के स्वामी को किसी सीमित अवधि के लिए उस आविष्कार से सम्बन्धित पूर्णाधिकार प्रदान किए जाते हैं। किसी प्रकार की सम्पत्ति की तरह ही पेटेण्ट का भी क्रय–विक्रय, हस्तानान्तरण आदि किया जा सकता है। पेटेण्ट की अवधि की अभिव्यक्ति उस समय–सीमा को दर्शाती है, जिसके अन्दर एकस्वी उस समयावधि या समय–सीमा के अन्दर एकछत्र उपयोग कर सकता है। भिन्न–भिन्न देशों में इस प्रकार की समयावधि भिन्न–भिन्न होती है।

पेटेण्ट के लिए आवेदनकर्ता हेतु शर्तें

- कोई अविष्कारकर्ता या उसका उत्तराधिकारी, अकेले अथवा अन्य लोगों के साथ मिलकर, समुचित पेटेण्ट कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में पेटेण्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
- उसे अपने आवेदन के साथ अपनी विशिष्टता के बारे में स्थायी या पूर्ण ब्यौरा देना होता है।
- पेटेण्ट को पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पेटेण्ट कराना अच्छा रहता है, क्योंकि पंजीकरण कराने मात्र से पेटेण्ट की नकल करने वाले के खिलाफ समुचित कार्यवाही की जा सकती है।
- पेटेण्ट कार्यालय में जमा कराए गए सभी आवेदनों को पेटेण्ट अधिनियम, की धारा 11 (ए) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।
- कोई भी व्यक्ति पेटेण्ट मंजूर किए जाने से पहले तृतीय पक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर पेटेण्ट किए जाने का विरोध कर सकता है।
- पेटेण्ट मंजूर करने से पहले ऐसे प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा।

वे वस्तुएँ जिनका पेटेण्ट कराया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैः

आविष्कार नया, अप्रकटित और औद्योगिक अनुप्रयोग में सूक्ष्म होना चाहिए। इसके अन्तर्गत मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएँ, मशीनें, उत्पाद अथवा अन्य परिष्कार और मौलिक अनुसन्धान शामिल हैं। अगर कोई खोज पहले से सार्वजनिक रूप में प्रकाशित साहित्य या पूर्ववर्ती/सामान्य जानकारी के रूप में उपलब्ध होगी, तो पेटेण्ट मंजूर नहीं किया जाएगा। पेटेण्ट कराई जाने वाली खोज ऐसी श्रेणियों से सम्बद्ध नहीं होनी चाहिए, जिसका पेटेण्ट अयोग्य घोषित किया गया हो।

कॉपीराइट/प्रतिलिप्याधिकार

कॉपीराइट मौलिक साहित्यिक रचनाओं से नकल के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। ग्रन्थों, उपन्यासों, गीत–गाने, कम्प्यूटर प्रोग्राम आदि रचनाएँ जब अस्तित्व में आती हैं, तो इस विधान के माध्यम से रचनाकार की निजी सम्पत्ति में बदल जाती हैं। भारत बौद्धिक सम्पदा संगठन द्वारा संचालित साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण की बर्न सन्धि तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा संचालित कॉपीराइट सन्धि का भी सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र के इन दोनों विशिष्ट संगठनों का भी सदस्य है।

कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत एक कॉपीराइट कार्यालय वर्ष 1958 से ऐसी कृतियों को रजिस्टर करने का कार्य कर रहा है, जिसमें कॉपीराइट होता है। इससे कृतियों के स्वामियों तथा उनके स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कॉपीराइट सम्बन्धी विवादों में मध्यस्थता अधिकारों के साथ एक कॉपीराइट बोर्ड स्थापित किया गया है। भारत के दो अन्तर्राष्ट्रीय कॉपीराइट समझौते–बन समझौता (1948) तथा यूनिवर्सल कॉपीराइट समझौता (1952) का सदस्य है। दोनों समझौतों को वर्ष 1971 में पेरिस में पुनः संशोधित किया गया था, जिसमें विकासशील देशों को विशेष छूट के अन्तर्गत विदेशी मूल के ग्रन्थों के शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पुनर्प्रकाशन का अनिवार्य लाइसेन्स देने का अधिकार दिया गया।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 को वर्ष 1983 में निम्नलिखित विशिष्ट कारणों से संशोधित किया गयाः

- लेखकों के अधिकारों को समुचित संरक्षण दिए जा सकें।

- समझौता तथा यूनिवर्सल कॉपीराइट समझौतों के 1971 के पेरिस समझौतों के पाठ को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक ग्रन्थों के अनुवाद तथा पुर्नःप्रकाशन के लिए अनिवार्य लाइसेन्स देने से सम्बन्धित प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
- वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम में संरक्षण की गई प्रशासनिक कमियों तथा अन्य कमजोरियों को दूर किया जा सके। कॉपीराइट अधिनियम, 1983, 9 अगस्त, 1984 से लागू किया गया। कॉपीराइट अधिनियम, 1984 में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए संशोधन किया गया। साहित्यिक चोरी के विविध अपराधों के लिए अधिक कठोर सजाओं का प्रावधान रखा गया है।
- कॉपीराइट का उल्लंघन एक संगीन अपराध माना जाता है। इसके उल्लंघन के लिए 6 माह की न्यूनतम सजा से 3 साल तक की सजा और न्यूनतम रू. 50,000 से रू. 2,00,000 तक का जुर्माना लिया जाता है। यह अधिनियम 8 अक्टूबर, 1984 से लागू हो गया है।

औद्योगिक डिजाइन

औद्योगिक डिजाइन का सम्बन्ध आकृतियों, रेखाओं या रंगों के माध्यम से उत्पादों के सौन्दर्य–बोध के परिष्कार से है। विशेष रूप से इसका इस्तेमाल वस्त्र उत्पादों, चमड़ा उत्पादों और मोटरकार आदि में किया जाता है।

समझौते के तहत सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गई कि वे औद्योगिक डिजाइन की रक्षा करें और अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसके अनुचित इस्तेमाल पर रोक लगाएँ। नवीनता या मौलिकता औद्योगिक डिजाइन के सन्दर्भ में पंजीकरण की पूर्व–शर्त है।

ट्रेडमार्क

वे विशिष्ट पहचान व संकेत–चिह्न, जिनका प्रयोग व्यावसायिक इकाइयों द्वारा दूसरे से अलग दिखने के लिए किया जाता है, उसे ट्रेडमार्क अथवा सर्विस मार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क का सम्बन्ध वस्तुओं से है, तो सर्विस मार्क का सेवाओं से। अक्सर इन संकेत चिह्नों के रूप में अक्षरों, शब्दों, अंकों, नामों और चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है।

इनकी शर्त यह है कि वे दूसरों से बिल्कुल अलग हों। बिना धारक की अनुमति के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ट्रेडमार्क सम्बद्ध इकाइयों की ब्रॉण्डिग में सहायक होता है, साथ ही यह वस्तु की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता हुआ, ग्राहकों को अपनी पसन्द के उत्पादों के चयन का अधिकार प्रदान करता है। इस रूप में यह उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में भी सहायक है।

भौगोलिक चिह्न

भौगोलिक चिह्न (Geographical Indication) एक विशेष प्रकार का चिह्न है, जिसका इस्तेमाल एक विशेष क्षेत्र में तैयार होने वाले उत्पादों के लिए किया जाता है। यह इसलिए जरूरी है, ताकि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से सम्बद्ध उत्पादों को फायदा पहुँचाया जा सके और उसकी विशिष्ट पहचान को संरक्षित किया जा सके। इसका उद्देश्य ग्राहकों को यह सूचना देना है कि किसी वस्तु–विशेष की गुणवत्ता, छवि व प्रकृति मूलतः उसके उद्भाव–स्थान से सम्बद्ध है। दरअसल यह उत्पाद विशेष की स्थानीय पहचान को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के रूप में जैसे बासमती चावल (देहरादून), पश्मीना शॉल (जम्मू–कश्मीर)।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसे भारतीय सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। यह भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों एवं विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने सम्बन्धी नियामक निकाय है। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के अधीन है। इसके प्रथम अध्यक्ष सीएस अग्रवाल थे।

भारतीय सेंसर बोर्ड देश में रीलीज होने वाली फिल्मों को 4 श्रेणियों के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र प्रदान करता है।

ये 4 श्रेणियाँ हैं:

1. ऐसी फिल्में जिनको सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं।
2. ऐसी फिल्में जिनमें कुछ दृश्यों में हिंसा, अश्लील भाषा या यौन सम्बन्धित सामग्री हो सकती है, ऐसी फिल्मों को 12 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं।
3. ऐसी फिल्में जिन्हे सिर्फ वयस्क अर्थात् 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं।
4. ऐसी फिल्में जिन्हें विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर के लिए बनाई जाती है।

ट्रेडमार्क (संशोधन) विधेयक, 2009

अगस्त, 2010 में भारतीय संसद ने ट्रेडमार्क अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया। यह विधेयक किसी व्यक्ति या उद्यमी को इस बात की अनुमति प्रदान करता है कि वह मैड्रिड प्रोटोकॉल के 88 सदस्य देशों में कहीं भी ट्रेडमार्क या पंजीकरण के लिए एकल आवेदन कर सके। यह संशोधन भारतीय ट्रेडमार्क को मैड्रिड प्रोटोकॉल से सम्बद्ध करने के लिए किया गया। यह विधेयक विदेशी लोगों और अन्तर्राष्ट्रीय इण्टरप्राइजेज को भी इस बात की अनुमति प्रदान करता है कि वह भारत में आवेदन कर सके।

वर्तमान में भारतीय आवेदकों को विभिन्न देशों में अलग–अलग आवेदन करना पड़ता है और इसके लिए अलग–अलग फीस देनी पड़ती है इसके लिए भारत को अपने मानव–संसाधनों, आधारभूत संरचना, तकनीकी और सॉफ्टवेयरी को अपग्रेड करना होगा। इसके लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 300 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

अवरोधन (सेंसर)

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन जब इसका उपयोग एक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दूसरों के अधिकारों में अतिक्रमण करने के लिए किया जाने लगता है, तब सरकार उस व्यक्ति अथवा संस्था पर अवरोधन (सेंसर) लगाने की व्यवस्था करता है। इसे ही सेंसर अथवा अवरोधन व्यवस्था कहा जाता है।

भारत में विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम प्रेस है। यह मुद्रण एवं अमुद्रण दोनों रूपों में उपलब्ध है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जब प्रेस पर सेंसर की व्यवस्था की गई है। यह देश की आजादी से पहले तो कई बार देखने को मिली ही है, किन्तु आजादी के बाद भी इस पर सेंसर लगाने की कोशिशें कई बार की गई हैं।

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867

- इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि भारत में किसी भी पत्र–पत्रिका या पुस्तक का प्रकाशन करने से पूर्व उसका पंजीकरण भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में करवाना आवश्यक है और पंजीयक के द्वारा शीर्षक के पंजीकरण बाद ही प्रकाशन किया जा सकता है।
- यदि कोई समाचार–पत्र लगातार 4 माह तक नियमित रूप से प्रकाशित होता है, तो उसे केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञापनों हेतु मान्यता मिल जाती है।
- यदि कोई प्रकाशक अपने पत्र के शीर्षक, भाषा या समयावधि में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो इसके लिए पहले उसे भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक से पूर्वानुमति लेनी होगी।
- प्रकाशित–पत्र के प्रत्येक संस्करण की दो–दो प्रतियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए अधिकारियों तक पहुँचाना अनिवार्य है।

भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923

यह अधिनियम वर्ष 1923 में लागू किया गया और मार्च, 1967 तक इसमें कई संशोधन किए गए हैं। इसमें

प्रावधान है कि पत्र–पत्रिकाओं का यह दायित्व है कि वह देश की अखण्डता, प्रभुत्ता तथा एकता को कायम रखने में अपना योगदान दे। इसी नियम को विस्तृत तथा संशोधन के साथ भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 19 (2) में संविधान का सोलहवाँ संशोधन अधिनियम, 1968 में प्रस्तुत किया गया।

इसके अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति दण्ड का भागी बन सकता है:

राज्य के हित और सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्थानों में बिना अनुमति लिए जाए अथवा उनके सन्दर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी शत्रु पक्ष को दे, साथ ही निषिद्ध स्थानों के फोटो, स्कैच, शत्रु प्लान, मॉडल बिना अनुमति लिए प्रकाशित करे, जिससे पक्ष को किसी प्रकार की जानकारी मिल सके। भारतीय अखण्डता एव सम्प्रभुता पर किसी प्रकार की आँच आती हो या भारत के किसी भाग को संघ से पृथक होने के लिए उकसाया जाता हो।

औषधि और चमत्कारिक उपचार, (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954

भारतीय दण्ड विधान की धारा 292 से 294 तक नैतिकता के हित में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध का उपबन्ध करती है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ये धाराएँ अश्लील प्रकाशनों को बेचने, प्रचार या प्रदर्शन करने, अश्लील कृत्यों को करने, अश्लील गानों या अश्लील भाषणों आदि का निषेध करती है।

मन्त्र, तन्त्र, गण्डा, ताबीज, जादू–टोने आदि चमत्कारिक तरीकों से विभिन्न बीमारियों की जाँच, निदान आराम का आश्वासन।

पुरस्कार प्रतियोगिता कानून, 1955

यह कानून समाचार–पत्र, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पहेलियों पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाया गया है। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ जैसे– रिक्त स्थान में शब्द पूर्ति, चित्र पहचानों आदि शामिल है।

युवकों के लिए हानिप्रद प्रकाशन कानून, 1956

इस कानून का मुख्य उद्देश्य बालकों तथा किशोरों को हानिकारक प्रकाशनों से होने वाले दुष्परिणामों से बचाना हैं। इसके अन्तर्गत पत्रिका, पॉम्फलेट, समाचार–पत्र आदि के प्रकाशन आते हैं, जो अपराधों, हिंसा, क्रूरता, घृणा एवं भयावह प्रवृत्ति की घटनाएँ आदि के भाव को जगाता हो, चाहे वह चित्रों के माध्यम से हो, अथवा बिना चित्रों की सहायता के। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के हानिकारक प्रकाशन की ब्रिकी करता है, किराए पर देता है वितरण करता है, उस पर रोक लगाया जावें।

कृति– स्वाम्य अधिनियम, 1957 तथा एकान्तता का कानून

इस कानून के अन्तर्गत मौलिक, साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों, चल–चित्रों, फिल्मों और रिकॉर्डो में कॉपीराइट स्वीकार किया गया है। स्वाम्य के अन्तर्गत किसी ग्रन्थ रचना आदि को प्रकाशित करने से पूर्व लेखक की अनुमति न लेना इस कानून का उल्लंघन माना गया है। इसके अन्तर्गत लेखक की कविता, कहानी, नाटक, संगीत आदि के स्वामित्व को स्वीकार किया गया है। वृद्धि और कला के द्वारा उत्पन्न किसी कृति को कॉपीराइट की संज्ञा दी गई है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम (संशोधन) 1995

सैटेलाइट के माध्यम से लोगों के घरों में पहुँचने वाले टीवी चैनल अपनी मनमानी न करें, तथा ऐसे कण्टेण्ट न प्रसारित करें, जिससे समाज में रोष व्याप्त हो, इसके लिए सरकार ने वर्ष 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम (संशोधन) 1995 लागू किया।

इसके निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- बिना पंजीकृत हुए केबल टेलीविजन कार्यक्रम संचालित नहीं किए जा सकते हैं।

- केबल ऑपरेटर का पंजीकरण होगा।
- किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह किसी कार्यक्रम को प्रसारित या पुनः प्रसारित करे।
- दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आवश्यक प्रसारण प्रत्येक केबल आपरेटर कम–से–कम दो दूरदर्शन चैनलों, जिसमें एक क्षेत्रीय हो व दूसरा मुख्य उन्हें सैटेलाइट आधार पर केबल से प्रसारित करना होगा।
- प्रत्येक केबल ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उसका केबल नेटवर्क टेली कम्यूनिकेशन के लिए निर्धारित संरचना को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000

वर्तमान समय में संचार के नए माध्यमों का आगमन होने के बाद इण्टरनेट का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, मोबाइल फोन ने तो इसमें एक क्रान्ति ला दी है। इसका दुरुपयोग न हो, इसमें बचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 अमल में लाया गया। यह कानून 17 अक्टूबर, 2000 को लागू हुआ था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों मुख्य रूप से कम्प्यूटर को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि ऐसी युक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक, चुम्बकीय, ऑप्टिकल तरीके से या तेज गति से आँकड़े परिष्कृत करने का उपक्रम या वह सिस्टम जो तर्कपूर्ण अंकगणितीय, मेमोरी फंक्शन को इलेक्ट्रॉनिक, चुम्बकीय, ऑप्टिकल माध्यमों द्वारा संचालित करे। साथ ही सभी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, संग्रहण, सॉफ्टवेयर आदि की क्रियाओं को किसी भी कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के आधार पर करे।

डिजीटल सिग्नेचर से तात्पर्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो सेक्शन (3) के प्रारूप के अनुसार उत्पादित व सत्यापित हो।

इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड से तात्पर्य वे सभी आँकड़े, चित्र, आवाज टेक्स्ट आदि, जो माइक्रो चिप, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या काम्पेक्ट डिस्क आदि के रूप में हों।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के लिए इफ्ला (IFLA) की भूमिका

इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन (इफ्ला IFLA) द्वारा जारी निर्णयों तथा निर्देशों में मुख्य रूप से चार श्रेणियों के आधार बनाकर उसे अमल में लाने के लिए कार्यवाही की गई है। ये चार तथ्य निम्नलिखित हैः

- सुरक्षा तथा परिरक्षण इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्रोतों के रख–रखाव तथा परिरक्षण के सन्दर्भ में इफ्ला का मानना है कि ग्रन्थालयों तथा पुरातत्त्वविदों को कॉपीराइट सामग्री के डिजीटल रूपान्तरण को कानून द्वारा इसके संरक्षण व उचित रख–रखाव के दृष्टिकोण से स्वीकृत किया जाना चाहिए।
- सभी के लिए सूचना, नूतन प्रौद्योगिकी का लाभ सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए साथ ही, सभी प्रकार के प्रारूपों में डिजीटल सूचनाएँ सर्वसुलभ होनी चाहिए। इफ्ला का मानना है कि राष्ट्रीय कॉपीराइट कानूनों में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाए, अपेक्षित संशोधन भी किया जाए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित सूचनाओं का स्वीकृत उपयोग समान रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

डिजीटल सूचना स्रोतों का ऋणद ग्रन्थालयों से डिजीटल प्रलेखों के ऋण सम्बधी प्रलेखों के विषय में इफ्ला द्वारा स्पष्ट किए गए दो बिन्दु निम्नलिखित हैः

- कानून के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्त्रोत प्रकाशकों, वितरकों पर इस प्रकार से उपलब्ध होने चाहिए, जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा से अधिक ऐसे स्रोतों को ग्रन्थालय से ऋण किसी भी स्थिति में दिया जाना सम्भव नहीं है।
- शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों को ग्रन्थालय से ऋण की स्थिति में कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए।

प्रलेख प्रदत्त सेवाएँ प्रलेख प्रदत्त सेवाओं के लिए इफ्ला का विश्वास है कि कॉपीराइट प्रलेखों से सेवाएं देने में यह सेवाएं ऐसी न हो, जिसमें यह प्रतीत हो कि डिजीटल प्रतियां तैयार करके ग्रन्थालयों के कॉपीराइट कानूनों

का उल्लंघन किया गया है। ऐसे प्रलेखों के अंश मात्र ही इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख प्रदत्त सेवाओं हेतु कुछ समय के लिए रखे जाएँ।

निष्कर्ष

1990 के दशक के पहले बौद्धिक सम्पदाओं का उतना महत्त्व नहीं था तथा उनके उल्लंघन का असर घरेलू व्यापार तक सीमित था, किन्तु पिछले दो दशकों के दौरान वैश्वीकरण की तेज होती प्रक्रिया के साथ वैश्विक व्यापार में तेजी से परिवर्तन आया है। वैश्विक व्यापार में उत्पाद की लागत, गुणवत्ता और विविधता के मद्देनजर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक को बनाए रखने के लिए विकसित देशों ने अनुसन्धान व विकास को अधिक महत्त्व दिया। इस कारण उनके उत्पादन की नवीनतम तकनीक व प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ती चली गई। इसी के अनुरूप वैश्विक निर्यात में आधुनिक शोधों व अनुसन्धानों के आधार पर विकसित नवीनतम तकनीक व प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों का अनुपात बढ़ता चला गया।

इसी दौरान विकासशील देशों द्वारा विदेशी निवेश पर आरोपित प्रतिबन्धों को हटाने के साथ पेटेण्ट–आधारित उत्पादों के लिए नवीन बाजार सम्भावनाएँ खुली। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों में इन विदेशी निर्माताओं के बौद्धिक सम्पदा अधिकार के हनन की सम्भावनाएँ भी बढ़ी। इसने नकली और जाली उत्पादों की कारोबार को बढ़ाने का काम किया। रॉयल्टी मुक्त होने के कारण बेहतर गुणवत्ता वाले इन उत्पादों का लागत अपेक्षाकृत कम थी। यही वह पृष्ठभूमि है, जिसमें बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के निर्धारण की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1986 से 1994 तक गेट के आठवें और अन्तिम दौर की उरुग्वे वार्ता में बौद्धिक सम्पदा को महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में स्थान दिया गया।

संदर्भ सूची

1. त्रिखा नंदकिशोर, (2009), *प्रेस विधि*, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ क्रमांक 137–163.
2. Acharya (NK). *Textbook on intellectual propety rights*. Hyderabad, Asia Law House, 2001.
3. Cornish (WR). Intellectual property : Patents, copyright, trade marks and allied rights. Delhi, Universal Law Publishing, 2001.
4. Mazzone (J). *Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Propety Law.* Standfor, Standford Law Books, 2011.
5. McLeod (K) and Lessig (L). Freedom of Expression : Resistance and Repressin in the Age of Intellectula Propety. Minnesota, University of Minnesota Press, 2007.
6. Myneni (SR). *Law of intellectual property,* Hyderabad, Asia Law ouse, 2001.
7. Singh (SK). *Intellectual Property Rights Laws*. Delhi, Jain Book Agency, 2012.
8. Vaidhyanathan (S). Copyrights and Copywrons : The Rise of Intellectual Property and How it Threatens Creativity. New Yourk, New Your University Press, 2003.

****